संख्या-111/2022/1135/001-22-4-2022-48-09-2020

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक-14 नवम्बर, 2022

विषय:- प्रदेश की कारागारों में तैनात सुरक्षा कर्मियों की वैयक्तिक सुरक्षा एवं कारागारों में घटित घटनाओं के समय सुरक्षित फीड (वीडियो) को साक्ष्य के रूप में उपयोग किये जाने हेतु 10 कारागारों में बॉडी वार्न कैमरें की व्यवस्था कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-23421/आधु0-1/19/बाडी कैमरा/22-23, दिनांक-19 जुलाई, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश की कारागारों में तैनात सुरक्षा कर्मियों की वैयक्तिक सुरक्षा एवं कारागारों में घटित घटनाओं के समय सुरक्षित फीड (वीडियो) को साक्ष्य के रूप में उपयोग किये जाने हेतु 10 कारागारों में 100 अदद् बॉडी वार्न कैमरें की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में ई-मार्केट प्लेस (जैम पोर्टल) के माध्यम से कराये जाने हेतु रू0 60.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया प्रदेश की कारागारों में तैनात सुरक्षा कर्मियों की वैयक्तिक सुरक्षा एवं कारागारों में घटित घटनाओं के समय सुरक्षित फीड (वीडियो) को साक्ष्य के रूप में उपयोग किये जाने हेतु 10 कारागारों में 100 अदद् बॉडी वार्न कैमरें को क्रय किये जाने के सम्बन्ध में ई-मार्केट प्लेस (जैम पोर्टल) के माध्यम से कराये जाने हेतु निम्न विवरणानुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में धनराशि रू0 60,00,000/- (रूपया साठ लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(धनराशि रूपया में)

क्र0	कारागार का नाम	प्रस्तावित उपकरण की संख्या	अनुमानित लागत प्रति	अनुमानित कुल लागत
1	केन्द्रीय कारागार नैनी	10	60000	600000
2	केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़	10	60000	600000
3	केन्द्रीय कारागार आगरा	10	60000	600000
4	केन्द्रीय कारागार वाराणसी	10	60000	600000
5	जिला कारागार मेरठ	10	60000	600000
6	जिला कारागार बुलन्दशहर	10	60000	600000
7	जिला कारागार हरदोई	10	60000	600000
8	जिला कारागार फिरोजाबाद	10	60000	600000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.gov.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9	जिला कारागार सहारनपुर	10	60000	600000
10	जिला कारागार आगरा	10	60000	600000
	योग	100	-	600000

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यदय/उपयोग सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए किया जायेगा। सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं के क्रय हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक-23.08.2017 के अनुसार किया जायेगा।

(2) महानिरीक्षक कारागार द्वारा धनराशि आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त धनराशि पूर्व में स्वीकृत नहीं की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उक्त के सम्बन्ध में निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

(3) क्रय किये जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में क्रेता इकाई/महानिरीक्षक, कारागार पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे कि उनकी गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप हो।

(4) उपकरणों के क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा, यदि कोई धनराशि बचती है तो अवशेष धनराशि के सापेक्ष कोई अन्य उपकरणों का क्रय न किया जाय।

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कर्य/मद में किया जायेगा। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि बचती है, तो उसे राजकोष में जमा किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 60,00,000 (रुपये साठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008001400 कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-12-231-X-2022-23, दिनांक- 21.10.2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-111/2022/1135/001-22-4-2022-48-09-2020, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0,प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार), कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.gov.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।